# कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन–834002 Email ID : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– ..... दिनांकः– .....

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0 द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132 के0भी0 डी0सी0 Itkkori to Chatra Transmission Line निर्माण हेतु कुल 55.217 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल–53.679 हे0 एवं चतरा उतरी वन प्रमंडल–1.538 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 2250 दिनांक 02.08.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वांछित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का विषयगत प्रस्ताव पर मंतव्य उनके पत्रांक 1068 दिनांक 30.08.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 890 दिनांक 02/9/2022

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वरीय प्रबंधक M/s JUSNL, ट्रांसमिशन प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.09.2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

2.9.22

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं
# मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड
वन भवन डोरण्डा रांची -2

**पत्रांक :** 1068 **दिनांक:** 30/08/2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषयः- मे0 झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि0 द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132 KV D/C Itkhori to Chatra Transmission Line निर्माण हेतु कुल 55.217 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल 53.679 एवं चतरा उतरी वन प्रमण्डल 1.538 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव से संबंधित मंतव्य के संबंध में।

प्रसंगः- आपका ज्ञापांक 531 दिनांक 22.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में क्षेत्रीय पदाधिकारियों-क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के मंतव्य (पत्रांक 1963 दिनांक 29.08.2022), वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा ( पत्रांक 647 दिनांक 29.08.2022-छाया प्रति संलग्न) एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के पत्रांक 1819 दिनांक 26.08.2022 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उतरी वन प्रमंडल के पत्रांक 1449 दिनांक 24.08.2022 के माध्यम से प्रतिवेदित मंतव्यों से सहमत होते हुए अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत हैः-

इसके साथ संलग्न किया गया है कि विषयक परियोजना में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना बनाया जाना आवश्यक है।

1. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित है कि यह पाया गया है कि परियोजना के प्रस्तावित क्षेत्र और इसके प्रभाव क्षेत्रों में (परियोजना के दोनों किनारों पर 10 किमी रेडियल दूरी) बड़े जीवों की आवाजाही नगण्य है किन्तु निम्न कंडिका में दी गयी वनस्पति और वन्यजीव, जल क्षेत्र परियोजना के वनों और इसके प्रभाव क्षेत्रों में पाई जाती हैं |
   i. Flora - Sal , Asan, Piyar, Mahua, Sidha, Bhelwa, Kend, Dhautha, Salai, Karam, Amaltas, Putri, Koraiya, Aam, Jamun, Rohan, Palas, Kaj, Semal, Paisar, Bel, Bahera, Paipan, Khair, Imli, Neem, Pipal, Kusum, Dhaw, Ghorkanj, Gamhar, Awala, Shishm, Bamboo etc.
   ii. Fauna : Leopard, Jungle Cat, Wild Dog, Indian Wolf, Indian hare, Wild Boar, Barking Deer, Chital, Hyaena Common Fox, Jackal, Indian Grey Mongoose, Blue Bull, Giant squirrel, Indian Palm Squirrel, Flying squirrels, Black-naped Hare, Large Bandicoot Rat, Lesser Bandicoot Rat, Common Yellow Bat, Painted Bat, King Cobra, Cobra, Viper, Python, Krait, Water Snake, Wolf Snake, Myna, Duck, Vultures, Eagle, Jungle fowl, Peacock, Koel, Owl, Pigeon, Sparrow, Sun bird etc.
   iii. अतः दुर्लभ और लुप्तप्राय वनस्पतियों और वन्यजीवों सहित अनुसूचियों की प्रजातियों के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है और इसके लिए भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण (B.S.I) द्वारा The list of threatened plant species endemic to region और भारतीय सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा झारखण्ड की जीव-जंतु लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची को संदर्भ में रखा जाना अपेक्षित होगा।
   iv. इन जंगलों और इसके प्रभाव क्षेत्रों से होकर 03 (तीन) बड़ी नदियाँ जैसे हीरू, मुहाने और लीलाजन बहती हैं। इन तीन नदियों के अलावा मौसमी प्रकृति के कई अन्य छोटे नाले भी प्रभाव क्षेत्रों में हैं।

2. उपरोक्त के आलोक में परियोजना हेतू प्रयोक्ता एजेंसी मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा रैखिक परियोजनाओं के लिए Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco-Friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife (2016)" द्वारा जारी मानक एसओपी/दिशानिर्देशों के प्रावधानों के पालन सहित, प्रस्तावित अपयोजन भूमि के इर्द-गिर्द हाथियों का आवागमन होने की स्थिति में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार करने हेतू राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 66 वीं बैठक दिनांक 31.12.2021 में NBWL द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वनों की भूमि के प्रबंधन के मामलों में लिए गए निर्णयों के सार (MoEF&CC F.No. 6-141/2021WL दिनांक 1 फरवरी 2022 द्वारा परिचालित) विशेषकर ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में क्षेत्र में हाथियों की संभावित उपस्थितियों का अध्ययन कर जंगली हाथियों को आकस्मिक इलेक्ट्रोक्यूशन से बचाने के लिए बिजली लाइनों के सबसे निचले कंडक्टर या ग्राउंडिंग तारों (अर्थात अधिकतम शिथिलता बिंदु पर) के सबसे निचले बिंदु पर विभिन्न ढलान वाली जमीन से ऊपर की ऊंचाई और अन्य एरोबोरियल प्रजातियों को इलेक्ट्रोक्यूशन से सुरक्षित रखने संबंधित निर्णय अनुसार सुनिश्चित करने, वन्यप्राणियों विशेषकर हाथियों के संभावित electrocution से बचाव के लिए ABC cable (insulated Aerial Bundled Cable) का प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा। साथ ही क्षतिपूरक वनरोपण में वन्यप्राणियों के भोजन अनुकूल वृक्ष प्रजातियों का वनरोपण भी अपेक्षित होगा |

3. प्रयोक्ता एजेंसी मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा परियोजना क्षेत्र के भीतर और आसपास के क्षेत्रों पर विषय वस्तु विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के माध्यम से पारिस्थितिकी, और वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर परियोजना के संभावित प्रभाव का आकलन किए जाना अपेक्षित होगा। यह landscape areas में वनस्पतियों और जीवों पर डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है और Jharkhand हेतु भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (BSI) द्वारा दी list of threatened plant species endemic to region, और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा झारखंड की जीव-जंतु लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची को संदर्भ में रखा जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास वैज्ञानिक डेटा का सत्यापन कर पारिस्थितिकी के संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

4. अत: ऐसी स्थिति में वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संभावित मानव-वन्यप्राणी द्वन्द से निपटने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा Project Cost पर Wildlife Management Plan तैयार किया जाना अपेक्षित होगा।

5. उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सहायता से, परियोजना प्रस्ताव क्षेत्र के प्रभावित होने वाले क्षेत्र में वन्यप्राणी प्रबंधन और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों व जीव-जंतुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों और पड़ने वाले संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव सहित ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण से उद्भूत वन्यप्राणियों के habitat Fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पडने के परिपेक्ष्य में Project Cost पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में एक "एकीकृत साइट विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण, प्रबंधन और शमन योजना" तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन

30/8/2

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड